



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-253002  
CG-DL-E-14032024-253002

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 179]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

संख्या 17/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 192(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. सं. 798 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 20 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (क) में, प्रतीकों और शब्दों "(सामान्यता जिन्हें स्मार्ट घड़ियों के नाम से जाना जाता है);" के स्थान पर, प्रतीकों और शब्दों "(सामान्यता जिन्हें स्मार्ट घड़ियों के नाम से जाना जाता है) और अन्य स्मार्ट पहनने योग्य उपकरण जिसमें स्मार्ट रिंग, शोल्डर बैंड, नेक बैंड या एंकल बैंड शामिल हैं;" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/22/2023-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे अवर सचिव

**नोट:** मूल अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 798(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जनवरी, 2024 जिसे सा.का.नि.सं. 79 (अ), दिनांक 30 जनवरी, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के तहत संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2024

**No. 17/2024-Customs**

**G.S.R. 192(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 57/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 798(E), dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against S. No. 20, in column (3), in item (a), for the symbols and words “(commonly known as smart watches);”, the symbols and words “(commonly known as smart watches) and other smart wearable devices including smart rings, shoulder bands, neck bands or ankle bands;” shall be substituted.

[F.No. CBIC-190341/22/2023-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**Note:** - The principal notification No.57/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 798(E), dated the 30th June, 2017 and last amended, vide notification No. 09/2024-Customs, dated the 30th January, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 79(E), dated the 30th January, 2024.